प्रारूप – एक
(नियम 11 देखियें)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बलौदाबाजार–भाटापारा

अधिसूचना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

क्र./ 1975 /क/भू–अर्जन/27 अ 82/2018–19 बलौदाबाजार, दिनांक 06/09/2019

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजना का विवरण
बलौदाबाजार	सिमगा	खड़वा	1.380 हे.	सिमगा वितरक नहर के बायी तट नहर निर्माण हेतु

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक **15/10/2019** को समय 11.00 बजे से स्थान **ग्राम–खड़वा** नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	: भाटापारा शाखा नहर के सिमगा वितरक नहर के बायी तट नहर निर्माण हेतु
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	: 09
3. अपत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	: निरंक
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	: निरंक
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	: निरंक
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	: हां
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	: हां
8. परियोजना की कुल लागत	: 40.53 करोड़
9. परियोजना से होने वाले लाभ	: इस नहर का निर्माण भाटापारा शाखा नहर प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है। यह शासकीय वृहद सिंचाई परियोजना है, उपरोक्त नहर निर्माण से लगभग 200 हे. क्षेत्र में खरीब फसल के सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे क्षेत्र के कृषकों के फसल उत्पादन में वृद्धि होगी।
10. प्रस्तावित समाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	: प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे है।
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	: निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

06-09-2019

कलेक्टर
जिला – बलौदाबाजार–भाटापारा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग